रजिस्टर्ड नं0 एल0-33-एस0 एम0 13-14/97

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 21 अगस्त, 1997/30 श्रावण, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 अगस्त, 1997

संख्या 1-53/97-वि0 स0.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997

2550-राजपत्र/97-21-8-97—1,255. (3215) मूल्य : 1 रुपया।

का विधेयक संख्यांक 15)" जो आज दिनांक 21 अगस्त, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

1997 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 (1970 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1997 है।

1970 का 9 की धारा 37 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 की धारा 37 की उप-धारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "मण्डल आयुक्त" शब्द रख जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 की धारा 37 के अधीन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। राज्य सरकार के भार को कम करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार की अपीली शक्तियां क्षेत्र के मण्डल आयुक्त को प्रदत्त की जानी चाहिए। व्यथित पक्षकारों की राज्य सरकार की तुलना में मण्डल आयुक्त के कार्यालय तक आसान पहुंच होगी और अपीलें तीव्र गति से विनिश्चित की जाएंगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

सुजान सिंह पठानिया,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
21 अगस्त, 1997

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 1997

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 (*Act No.* 9 *of* 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 37.

9 of 1970.

2. In section 37 of Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, in sub-section (2), for the words "State Government", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 37 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, any person aggrieved by the orders passed by the Board can appeal to the State Government whose decision shall be final. In order to lessen the burden of State Government, it has been decided that the appellate powers of the State Government should be conferred upon the Divisional Commissioner of the area. The aggrieved parties will have easy access to the Divisional Commissioner's office in comparison to the State Government and appeals would be decided more speedily. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SUJAN SINGH PATHANIA,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The 21st August, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।